

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या— 15/2019

निर्णय दिनांक — 04.04.2019

देवीलाल पुत्र मांगीलाल जाति धोबी आयु वयस्क, पेशा काश्त निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

— प्रार्थी

// बनाम //

1. श्री पृथ्वीराज पिता गोकलजी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. श्री मनोहर लाल पिता कानमलजी जाति जागेटीया माहेश्वरी आयु वयस्क निवासी केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय केली जरिये प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 केली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
5. श्रीमति दाखीबाई पत्नि स्व0 श्री उदयसिंह जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
6. श्री राईसिंह पिता श्री उदयसिंह जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
7. श्री नागुसिंह पिता श्री उदयसिंह जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
8. श्रीलाल पिता किशनजी जाति जाट आयु वयस्क वयस्क निवासी बोरखेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
9. श्री माधुलाल पिता किशनजी जाति जाट आयु वयस्क वयस्क निवासी बोरखेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
10. श्री रामलाल पिता किशनजी जाति जाट आयु वयस्क वयस्क निवासी बोरखेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
11. श्री मांगीलाल पिता मेघराज जी जाति जाअ आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
12. श्री चम्पालाल पिता मेघराज जी जाति जाअ आयु वयस्क निवासी रठाजना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट
आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा रठाजना पटवार हल्का केली तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 103 की आराजी नं0 1321 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नं0 1322 रकबा 2.6600 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा रटाजना पटवार हल्का केली तह0 निम्बाहेडा की खखाता संख्या 103 की आराजी नं0 1321 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नं0 1322 रकबा 2.6600 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 04.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा